

आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमंडल, छपरा।

पुनर्स्थापन वाद सं०-०३/२०२२

(संदर्भ:- मध्यस्थता अपीलवाद सं०-५३/२०२०, स्वामीनाथ प्रसाद बनाम् बिहार राज्य)

स्वामीनाथ प्रसाद.....अपीलकर्ता

बनाम्

बिहार राज्यविपक्षी

आदेश

30.06.2023

प्रस्तुत पुनर्स्थापन वाद, मध्यस्थता अपीलवाद सं०-५३/२०२० में दिनांक ३०.०९.२०२२ को पारित आदेश के विरुद्ध लाया गया है।

एन०एच०ए०आई० के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि एन०एच०ए०आई० एक्ट के तहत पुनर्स्थापन वाद दायर किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है।


अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मध्यस्थता वाद सं०-५३/२०२० में अपीलकर्ता को अपना पक्ष रखने हेतु पर्याप्त अवसर दिए गए थे जिसमें उनके लगातार अनुपस्थित रहने के आधार पर वाद को सुनवाई के बिन्दु पर खारिज कर दिया गया है। वस्तुतः N.H.A.I. Act, 1956 में Restoration दायर करने का कोई प्रावधान नहीं है।

उपर्युक्त वर्णित कारणों से प्रस्तुत पुनर्स्थापन वाद सं०-०३/२०२२ (मध्यस्थता वाद सं०-५३/२०२० से व्युत्पन्न) को ग्रहण के बिन्दु पर अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित


आयुक्त

सारण प्रमंडल, छपरा।


आयुक्त

सारण प्रमंडल, छपरा।